



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

Ph.: 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 Fax : 0755-2555162

Email:chiefelectoralificermp@gmail.com; website : ceomadhyapradesh.nic.in

क्रमांक 31/1/स्था/2013

भोपाल, दिनांक 27.6.2016

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन से संबंधित नियम/निर्देश एवं ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य अंग्रेजी/हिन्दी में किया जाना, हिन्दी के नियम/निर्देश को अंग्रेजी में अनुवाद करने तथा प्रतिवेदन पत्रों का ड्राफ्ट, अंग्रेजी/हिन्दी में किया जाने का कार्य/जाब कार्य अनुसार प्रति 1000 शब्द/प्रतिदिन के आधार पर कराया जाकर 100 प्रतिशत सही कार्य होने पर भुगतान किया जावेगा। कार्य करने के इच्छुक अंग्रेजी/हिन्दी के जानकारी व्यक्ति/संस्थाओं से दिनांक 5.8.2016 तक कोटेशन/निविदाये आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपनी निविदा कोटेशन बंद लिफाफे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल के नाम से (लिफाफे पर अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद के लिये निविदा / कोटेशन अंकित की जाकर दोपहर 300 बजे तक भण्डार कक्ष के सहायक को प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। कोटेशन/निविदा में दर प्रतिदिन (8 घंटे) तथा प्रति 1000 शब्दों के कार्य के लिये / प्रति व्यक्ति/अनुसार अलग-अलग दरें अंकित कर दी जावे। संबंधित संस्था/व्यक्ति को अनुवाद के साथ साथ टाईप कर स्वच्छ प्रति में ड्राफ्ट सी डी सहित पत्र नियम/निर्देश प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकतानुसार एक से अधिक सी डी साफ्ट कॉपी तथा हार्ड कापी दी जाना होगी।

जी-16361

एस.एस. बंसल
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा सिर्फ नारा नहीं जीने का सलीका है।